प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट,।

ई–मेलः– eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांकः– 292 /ग्रा0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2023–24, दिनांकः–30/05/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषयः– **जनपद बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट तेजम मोटर मार्ग से किरौली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.25 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन। (प्रस्ताव संख्या–FP/ UK/ ROAD/28919/2017)**

सन्दर्भः– **भारत सरकार के पत्रांक संख्या 08 बी0/यू0सी0सी0/06/113/2018/एफ0सी0/2329, दिनांक 17.01.2017**

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट तेजम मोटर मार्ग से किरौली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.25 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्यॉ प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.50 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते यथासंशोधित) रू0 23,98,547.00 (तेईस लाख अट्ठानब्बे हजार पॉच सौ सैंतालिस) मात्र ऑनलाईन जमा कर दी गई है। धनराशि के चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नकः–01)** उक्त सिविल भूमि को जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नकः–02)**
2	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ली गयी वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न, **(संलग्नकः–03)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 31,10,238.00(इक्कतीस लाख दस हजार दो सौ अड़तीस रू0 मात्र) 4.734 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। **(संलग्नकः–04)**

Scanned with OKEN Scanner